स्टैंडर्ड पेंसिल्स (पी) लिमिटेड आदि आदि

बनाम

कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, मद्रास

सितंबर 19, 2002

[सैयद शाह मोहम्मद कादरी और एस. एन. वरियावा, न्यायाधिपतिगण] केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985:

अनुसूची उप-शीर्षक 3307.90 - क्म-क्म पेंसिल - उत्पाद शुल्क की वस्ती - से छूट - उप-शीर्षक 3304.00 के तहत क्म-क्म पेंसिल को वर्गीकृत करने वाला राजस्व - निर्धारिती - निर्माता ने तर्क दिया कि क्म-कुम पेंसिल को कुम-कुम का एक रूप होने के नाते उप-शीर्षक 3307.90 के तहत वर्गीकृत किया गया था और समय-समय पर संशोधित अधिसूचना संख्या 235/1986-सी. ई. दिनांक 3/4/1986 के तहत उत्पाद श्ल्क से छूट दी गई थी - अभिनिधारित किया, कुम-कुम पाउडर के रूप में, तरल रूप में, स्टिकर रूप अन्य तीन रूपों के साथ पेंसिल के रूप में 'क्म-क्म-क्म'-डी के अर्थ में आता है और बाजार में भी उपलब्ध है और जब अधिसूचना में केंद्र सरकार ने लाभ को सीमित नहीं किया है। क्मक्म पेंसिल को लाभ से बाहर रखने का कोई कारण नहीं है - एक साधारण शब्द के रूप में क्मक्म अधिसूचना में उपयोग मे ली जाती है, यह कुम-कुम सभी रूपों में आयेगी - जैसा कि कलेक्टर अपील द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, कुम-कुम पेंसिल कुम-कुम का एक रूप है और अधिसूचना संख्या 235/1986 सीई का लाभ लेने की हकदार है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 737/1995 ई/ए संख्या 2543/1992- सी में एफ. ओ. सं. 146/1993 - सी में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 30.4.1993 से उदगमित।

मय

सी. ए. संख्या 10232/1996

वी. लक्ष्मीकुमारन, ए. आर. माधव राव, आलोक यादव और वी. बालचंद्रन, अपीलार्थीगण के लिये।

सोली जे. सोराबजी, महान्यायवादी, राजीव नंदा और बी. कृष्ण प्रसाद, प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

सिविल अपील संख्या 737/1995

इस अपील में जो छोटा लेकिन दिलचस्प सवाल उठता है कि निर्माता निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत अपील सं. ई/2543/92-सी में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश संख्या 146/1993-सी दिनांक 30 अप्रैल, 1993, क्या 'कुम-कुम पेंसिल' दिनांक 3 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना संख्या 235/1986-सी. ई. का लाभ पाने का हकदार है।

निर्धारिती क्मक्म पेंसिल का निर्माण करता है। नोटिस दिनांक 13/3/1991 सहायक कलेक्टर केंद्रीय उत्पाद - वी-डिवीजन, मद्रास के द्वारा निर्धारिती को यह कारण दिखाने के लिए जारी किया गया था कि 'क्म-क्म पेंसिल' को केंद्रीय उत्पाद श्ल्क अधिनियम, 1985 के शीर्षक 3304.00 के तहत क्यों वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। जिस प्रश्न पर विचार किया जाना था, वह यह था कि क्या क्म-क्म पेंसिल और आई ब्रो पेंसिल शीर्षक 3304.00 के तहत वर्गीकृत किये जाने योग्य एक ही वस्तु है या अलग वस्त् है। दोनो सहायक कलेक्टर और कलेक्टर (अपील) ने माना है कि क्म-क्म पेंसिल अलग है और केंद्रीय उत्पाद श्ल्क अधिनियम, 1985 के शीर्षक 3307.00 के तहत वर्गीकृत किये जाने योग्य है। लेकिन इसने अगले प्रश्न को उत्पन्न किया कि क्या क्म-क्म पेंसिल वास्तव में 'क्म-क्म के अर्थ के भीतर आएगी। उस बिंद् पर भी, म्ल प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण ने पाया कि कुम-कुम पेंसिल 'कुम-कुम' के रूप में से एक है और इसलिए, यह अधिसूचना संख्या 235/1986-सीई का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। हालांकि, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में, न्यायाधिकरण) ने राजस्व द्वारा अपील दायर करने पर, यह अभिनिधीरित किया कि कुम-कुम पाउडर के रूप में, तरल रूप में या स्टिकर रूप में सामान्य रूप से 'कुम-कुम' के रूप में माना जा सकता है। इसने कुम-कुम को पेंसिल के रूप में लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि अधिसूचना संख्या 235/1986 सीई द्वारा दी गई छूट के तहत आता है। उपरोक्त अवधारणा को इस अपील के जरिये चुनौती दी गई है।

अधिसूचना संख्या 235/1986-सी. ई. जो कि अधिसूचना संख्या 323/1986 दिनांक 22.5.1986, नंबर 12/1987-सीई दिनांक 23.1.1987 और संख्या 48/1988-सीई दिनांक 1.3.1988, के द्वारा संशोधित की गई है, निम्न प्रकार से पठनीय है -

"कुम कुम और काजल को छूट-प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा, केंद्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित में निर्दिष्ट विवरण की वस्तुओं को छूट देती है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के उपशीर्षक संख्या 3307.90 के तहत आने वाले और संलग्न किए गए तालिका के कॉलम (2) में उस पर

लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क का इतना हिस्सा, जो उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट है, राशि से अधिक है। इसकी गणना कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट दर पर की जाती है।

सामान की शुल्क दर का विवरण -

(2) (9)

कुमकुम शून्य

काजल शून्य

सिंदूर शून्य

अल्ता और महावर शून्य

अधिसूचना, कुमकुम और उपशीर्षक तीन के तहत अन्य चार के आधार पर आगे बढता है।

तालिका विचाराधीन अधिसूचना में किसी विशेष प्रपत्र के लाभ को सीमित नहीं किया गया है।

<u>नोट-</u>

<u>अंग्रेजी का मूल निर्णय - स्टैंडर्ड पेंसिल्स (पी) लिमिटेड आदि बनाम</u> कलेक्टर <u>ऑफ सेंट्रल एक्साइज, मद्रास मे पारित निर्णय दिनांक</u> सितंबर 19, 2002 मूल पीडीएफ में पेज संख्या <u>510</u> से आगे <u>उपलब्ध नहीं है-</u>